कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद ।
पत्रांक 1121 /15 दिनांक, इलाहाबाद, अक्टूबर, 06 ,2016 ।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाईन सर्किट–1 के निर्माण कार्य हेतु 19.474 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–2520 / 11–सी0-FP/UP/Trans/15538/2015, दिनांक 26.05.2016 ।

महोदय,

उपरोक्त पत्र के अनुपालन में 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाईन सर्किट–1 के निर्माण कार्य हेतु 19.474 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा उनके पत्र सं0 340 / 2016–17 दिनांक 30–9–2016 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है:–

क्र0सं0	आपत्ति	आख्या
1	2	3
1	आन लाइन इन्ट्री के भाग–1 व भाग–2 में जनपद–औरैया एवं मैनपुरी से सम्बंधित सूचनाए संलग्न नहीं की गई है। भाग–1, भाग–2 पूर्ण संलग्न करें।	इलाहाबाद वन प्रभाग से सम्बंधित नही है।
2	आन लाइन इन्ट्री के भाग–1 में औरैया जनपद में प्रस्तावित वनभूमि 0.2176 अंकित की गई है परन्तु भाग–2 में 0.1024 अंकित किया गया है सही स्थिति अपलोड करें।	इलाहाबाद वन प्रभाग से सम्बंधित नही है।
3	एफ0आर0ए0–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में औरैया, मैनपुरी व कानपुर देहात में पत्रांक अंकित नहीं है।	इलाहाबाद वन प्रभाग से सम्बंधित नही है।
4	मक डिस्पोजल योजना मैनपुरी के अतिरिक्त अन्य जनपदों की संलग्न करें।	मक डिस्पोजल योजना संलग्न है।(संलग्नक–1)
5	Cost Benefit Analysis निर्धारित प्रारूप में संलग्न नहीं है।	Cost Benefit Analysis आवश्यक नहीं।
6	समस्त जनपदों में अपलोड किये गये वृक्षों की सूची अलग से संलग्न की गई वृक्षों की सूची में समानता नहीं है स्थिति स्पष्ट करें। जनपदवार पारेषण लाईन में आने वाले कुल वृक्षों की सूचीं, बांधक वृक्षों की सूची जिनका पातन किया जाना है अलग–अलग संलग्न करें।	इलाहाबाद वन प्रभाग में 15 वृक्षों का पातन निहित है। सूची संलग्न है। (संलग्नक–2)
7	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट समस्त जनपदों की संलग्न की गई है परन्तु उक्त रिपोर्ट पर सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी के सील सहित हस्ताक्षर नहीं है।	इलाहाबाद वन प्रभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रभागीय वनाधिकारी के सील व हस्ताक्षर सहित एतद्सह संलग्न है। (संलग्नक–3)
8	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इलाहाबाद द्वारा 14.84 का दुगुना चयनित किया गया है जबकि इलाहाबाद में आरक्षित वनभूमि भी प्रभावित हो रही है। स्थिति स्पष्ट करें। क्योंकि आरक्षित वनभूमि के विरूद्व प्रयोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली समतुल्य भूमि 14.411 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना होगा। अन्य जनपदों की चयनित भूमि प्रस्ताव में एक साथ लगाया जाए।	इलाहाबाद वन प्रभाग में 14.84 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है। जिसका दोगुना अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु स्थल का चयन किया गया है।

9	प्रयोक्ता द्वारा पृष्ठ 198 पर बचनबद्वता दी गई है व त्रुटिपूर्ण है कृपया स्थिति स्पष्ट करें। प्रत्येक जनपद हेतु लीज पर दिये जाने की अवधि अलग–अलग वर्षो हेतु दी गई है जो त्रुटिपूर्ण है कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	इलाहाबाद वन प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
10	समस्त अभिलेखों में प्रत्येक अभिलेख समस्त जनपदों के एक साथ लगाकर पृष्ठ संख्या कर प्रस्ताव संशोधित करें।	प्रभाग स्तर से अपेक्षित नहीं।
11	औरैया जनपद में 0.2176 हे0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है अथवा 0.1024 हे0 वनभूमि स्थिति स्पष्ट करते हुए जनपद औरैया के समस्त संलग्न अभिलेखों को संशोधित करें।	इलाहाबाद वन प्रभाग से सम्बंधित नही है।
12	बौने औषधीय वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन समस्त जनपदों का प्राक्कलन संलग्न करें।	इलाहाबाद वन प्रभाग का बौने औषधीय वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है।(संलग्नक–4)
13	दुगुने अवनत वनभूमि का प्राक्कलन सिर्फ इलाहाबाद जनपद का क्षेत्रीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर से संलग्न किया गया है। प्रभागीय निदेशक से हस्ताक्षर सील सहित करायें, इसके अतिरिक्त अन्य जनपदों के भी संलग्न प्राक्कलन में सील सहित सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारियों के हस्ताक्षर करायें।	इलाहाबाद वन प्रभाग के दोगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रभागीय निदेशक सील व हस्ताक्षर सहित संलग्न है।(संलग्नक–5)
14	प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के डिजिटल मैप पर (11 हे0) सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के डिजिटल मैप पर (11 हे0) प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित कर संलग्न है। (संलग्नक–6)
15	गजट नोटिफिकेशन के समस्त संलग्नकों को प्रमाणित करायें।	इलाहाबाद वन प्रभाग से सम्बन्धित नहीं। (संलग्नक 7)
16	समस्त अभिलेख जनपद वार लगाकर संशोधित कर समेकित प्रस्ताव प्रेषित करें।	प्रभाग स्तर से अपेक्षित नहीं।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(मनोज कुमार खरे)
प्रभागीय निदेशक,
सा0वा0प्रभाग,इलाहाबाद।

पत्रांक 112 /समदिनांक।

प्रतिलिपि वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वृत्त, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या–5476/15–2, दिनांक 07.06.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार खरे)
प्रभागीय निदेशक,
सा0वा0प्रभाग,इलाहाबाद।